

गाँवों के पुनर्वास पर NTCA की योजना

सरोत: इंडयिन एकसपरेस

हाल ही में <mark>राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण</mark> (National Tiger Conservation Authority- NTCA) ने **राज्य वन्यजीव विभागों** से आग्रह किया है कि वे **मुख्य बाघ आवासों** के भीतर स्थित गाँवों के स्थानांतरण के लिये एक व्यापक समय-सीमा और कार्य योजना विकसित करें।

NTCA की गाँव पुनर्वास योजना क्या है?

- मुख्य क्षेत्रों के संबंध में:
 - वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियिम, 2006 व्यवहार्य बाघ प्रजनन आबादी को समर्थन देने के लियेअशांत क्षेत्र (Disturbed Areas) की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
 - मुख्य या महत्त्वपूर्ण बाघ आवास से तात्पर्य बाघ रज़िर्व के भीतर के उन क्षेत्रों से है, जिन्हें प्रजनन करने वाली बाघ आबादी के अस्तित्त्व को सुनिश्चित करने के लिये अछूता रखा जाता है।
 - NTCA का ध्यान भारत के 55 अधिसूचित बाघ अभयारण्यों पर है, जहाँ लगभग 600 गाँव (64,801 परिवार) वर्तमान में मुख्य बाघ आवासों में रहते हैं।
- स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास कार्यक्रम (VVRP):
 - ॰ स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास कार्यक्रम (VVRP) के दोहरे उद्देश्य हैं- विकास के अवसरों तक पहुँच प्रदान करकेस्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और बाघों के लिये अछूता स्थान बनाना, ताक दोनों ही चीज़ें सामंजस्य के साथ हो सकें।
 - पुनर्वास स्वैच्छिक होना चाहिय तथा ग्राम सभाओं और संबंधित परिवारों की सूचित सहमति पर आधारित होना चाहिये एकं मुसूचित जनजातियों तथा अन्य वनवासियों के वन अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिये व उनका निपटारा किया जाना चाहिये।
 - ॰ **प्रतिपूर्ता:** संबंधित परिवार **वित्तीय प्रतिपूर्ता** (प्रति परिवार 15 लाख रुपए) या **पुनर्वास पैकेज** (भूमि, आवास और बुनियादी सुविधाओं सहित) का चयन कर सकते हैं।
 - ॰ **उक्त योजना से संबंधित मुद्देः** NTCA का पुनर्वास पैकेज भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित विधिक मानकों के अनुरूप नहीं है।
 - NTCA में भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है जिसमें अनुसूचित जनजाति समुदायों और वन निवासियों को पुनर्व्यस्थापन (Resettlement) तथा पुनर्वास (Rehabilitation) प्रदान करने के लिये विशेष प्रावधान हैं।

प्रोजेक्ट टाइगर:

- परोजेकट टाइगर भारत में एक वन्यजीव संरक्षण पहल है जिसे वर्ष 1973 में शुरू किया गया था।
- प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य समर्पित टाइगर रिज़र्व बनाकर बाघों का उनके प्राकृतिक आवासों में अस्तित्त्व और रखरखाव सुनिश्चित करना है।
- केवल नौ अभयारण्यों से शुरू होकर, इस परियोजना ने वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक आदर्श बदलाव को चिहनित किया। वर्ष 2024 तक्55
 रिज़र्व के साथ इसका विस्तार का दायरा विभिन्न राज्यों में है जो भारत के भू क्षेत्र का कुल 2.38% है।
- वर्ष 1972 में पहली बाघ गणना में अनूठी पग-मार्क विधि के साथ कैमरा-टरैप विधि जैसी अधिक सटीक तकनीकों का उपयोग किया गया।

वन्यजीव संरक्षण पहल

वन्यजीव के लिये संवैधानिक प्रावधान

42वाँ संशोधन अधिनियम,

वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण (राज्य से समवर्ती सूची

में हस्तांतरित)

अनुच्छेद

राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश 48 A:

के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास

अनुच्छेद

51 A (g):वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिये मौलिक कर्त्तव्य

वैधानिक ढाँचा

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२

जैविक विविधता अधिनियम, २००२

प्रमुख संरक्षण पहले

🛮 वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (IDWH):

- 🕒 वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई
- 🥲 एक केंद्र प्रायोजित योजना
- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (२०१७-२०३१)
- संरक्षित क्षेत्रों में इको-पर्यटन के लिये दिशानिर्देश
- मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो: वन्यजीव संबंधी अपराधों से निपटने हेत्

वन्यजीव प्रभाग (MoEFCC):

- 🕒 जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संरक्षण हेतु नीति और कानून
- 🕒 IDHW, केंद्रीय चिडियाघर प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB): खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार, केंद्रीकृत वन्य जीवन अपराध डेटाबैंक की स्थापना, समन्वय आदि।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण:

- 🕓 ऑपरेशन सेव कुर्मा
- 🕒 ऑपरेशन थंडरबर्ड

प्रजाति-विशिष्ट पहल 🛭

गंगा नदी क्षेत्र में ग्रेंटर एडजुटेंट (धेनुक) की सुरक्षा एवं संरक्षण

गंगा नदी के गैर-संरक्षित क्षेत्र में डॉल्फिन संरक्षण जंगली भैंसों के लिये संरक्षण प्रजनन केंद्र (वर्ष 2020) हिम तेंदुए के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2009)

गिद्धों के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2006)

प्रोजेक्ट एलिफेंट (वर्ष 1992)

प्रोजेक्ट टाइगर/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) (वर्ष 1973)

वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग

- 🕒 वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)
- 🕒 जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS)
- 🕒 जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
- विश्व विरासत सम्मेलन
- उत्तरामसर कन्वेंशन
- 🕒 वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (TRAFFIC)
- यूनाइटेड नेशन्स फोरम ऑन फॉरेस्ट (UNFF)
- 🖎 अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)
- प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)
- ज्लोबल टाइगर फोरम (GTF)



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?|?|?|?|?|?|?|:

प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियिम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है? (2021)

- (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परविर्तन मंत्रालय
- (b) पंचायती राज मंत्रालय
- (c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (d) जनजातीय कार्य मंत्रालय

उत्तर: (d)

प्रश्न. निम्नलिखति कथनों पर विचार कीजियै: (2018)

- 1. "संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास" की परिभाषा वन अधिकार अधिनयिम, 2006 में समाविषट है।
- 2. भारत में पहली बार बैगा (जनजाता) को पर्यावास का अधिकार दिया गया है।
- 3. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परविर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिये पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है तथा इसकी घोषणा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ntca-s-plan-on-relocation-of-villages